

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

55 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

14.06.2023

03.01.2025

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता निवासी लाखों वाली ढाणी शिवाजी कॉलोनी
निवाड़ी जिला टोंक राज0 एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाड़ी
जिला टोंक राज0। पिनकोड-304021 मोबाईल नं0 8003013140।

2-मैसर्स दिनेश जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाड़ी राज0। पिनकोड-304021।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री रोमेन्द्र गूर्जर उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 03/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक
07.02.2023 को समय 04:15 पी.एम. पर मैसर्स दिनेश जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी
निवाड़ी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य करोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री दिनेश
कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता अपने प्रतिष्ठान मैसर्स दिनेश जनरल स्टोर गली नं0 2
सिन्धी कॉलोनी निवाड़ी जिला टोंक पर खाद्य प्रदार्थ नमकीन, मसाले, कन्फैक्शनरी व अन्य खाद्य
पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता
को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश
चन्द गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री
प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान
में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में खाद्य प्रदार्थ नमकीन, मसाले, कन्फैक्शनरी खाद्य
प्रदार्थ के साथ-साथ दुकान में कागज के कार्टून में लगभग 40 जार मूल पैक पैकड अवस्था में
प्रत्येक नग 700-700 ग्राम पैक शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लव जोन ब्रण्ड) रखा हुआ था, जिसे
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न
होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता को फार्म
नं. 5 ए में वारंटे नमूना क्व करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में



Handwritten signature and stamp of the District Magistrate, Tonk, Rajasthan. The stamp reads 'जिला मजिस्ट्रेट, टोंक, राजस्थान'.

नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तरदीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लव जोन ब्रण्ड) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसके बैच नम्बर 10/2022 एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2022 थी, को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 700-700 ग्राम के 4 मूल पैक शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लव जोन ब्रण्ड) वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 मूल पैक प्रत्येक 700-700 ग्राम शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लव जोन ब्रण्ड) को अलग-अलग ज्यों का त्यों खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3446 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3446 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता निवासी लाखों वाली ढाणी शिवाजी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश जनरल स्टोर गली नं0 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/504 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/259/एक्ट/2023/334 दिनांक 15.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लव जोन ब्रण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शारित के साथ निस्तारण किया जावें।



प्रतिरिक्त जिला माजस्ट्रेट
के

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लव जोन ब्रण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लव जोन ब्रण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सौकरिया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0